संख्या-19/2025/441/002- 78-02099/66/2023

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च,2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रु0 26300000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064 (2024-2025) दिनांक 06-03-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्ष-2852-उद्योग, 80-सामान्य, 800, अन्य व्यय-32-उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रु0 5000.00 लाख (रुपये पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष संभावित बचतों में से धनराशि रु0 263.00 लाख (रुपये दो करोड़ तिरसठ लाख मात्र) को राजस्व लेखा शीर्ष "2852-उद्योग- 07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-27-शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था- 42-अन्य व्यय" मद में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र (प्रति संलग्न) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि रु0 263.00 लाख (रुपये दो करोड़ तिरसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निदेशक, उद्योग के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही राजकोष से धनराशि का आहरण किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना अविलम्ब प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगें।

(7) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व उ0प्र0 बजट मैनुअल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी उत्तरदायी होंगे।

(8) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(9) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा राजकोष में जमा कराते हुये उसकी प्रमाणिक सूचना शासन को भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग इस वित्तीय वर्ष में नहीं की जायेगी।

(12) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। इसके इतर व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(13) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए / बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(14) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी यह सुनिश्चित कर लेगें कि किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण एवं उपयोग की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 2,63,00,000 (रुपये दो करोड़ तिरेसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2852072022700 शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या-19(1)/2025/441(1)/002-78-02099/66/2023 एवं दिनांक यथोक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0 ।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9- नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ ।
10- औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
11- अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम,आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
12- आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन ।
13- गार्ड फाइल ।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A078-20242025-78-02099-66-2023

विषय:- शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने हेतु राजस्व व्ययों के लिए निगम को पुनर्विनियोग के माध्यम से रु0 263.00 लाख की धनराशि स्वीकृत /अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852808003200 (उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन)	42 (अन्य व्यय)	50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र	50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र	2,63,00,000 रुपये दो करोड़ तिरेसठ लाख मात्र	2,63,00,000 रुपये दो करोड़ तिरेसठ लाख मात्र	47,37,00,000 रुपये सैंतालीस करोड़ सैंतीस लाख मात्र	2024-2025
कुल					₹ 2,63,00,000	₹ 2,63,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852072022700 (शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था)	42 (अन्य व्यय)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,63,00,000 रुपये दो करोड़ तिरेसठ लाख मात्र	2,63,00,000 रुपये दो करोड़ तिरेसठ लाख मात्र	4,63,00,000 रुपये चार करोड़ तिरेसठ लाख मात्र	2024-2025
कुल				₹ 2,63,00,000	₹ 2,63,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. बचत / अतिरिक्त व्यय का कारण निम्नानुसार है:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-32-उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन-42-अन्य व्यय मद के अन्तर्गत धनराशि

रु0 5000.00 लाख की बचत संभावित है एवं लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स -27-शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था-42- अन्य व्यय मद में वर्तमान के दृष्टिगत रु0 263.00 लाख का अतिरिक्त व्यय सम्भावित है।

2. **प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।**

संख्या:RE-budget-1-782-E-6-275-X-2024-25-दिनांक:26-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
इलाहाबाद, उ0प्र0 ।

27/03/2025

अर्जुन देव भारती

संयुक्त सचिव

शैलेन्द्र कुमार राय

अनु सचिव

संख्या : 377/78-2-2025 / , दिनांक- 27 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उद्योग कानपुर (नियंत्रक अधिकारी)।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से

अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव